अग्निवीर हेतु ड्यूटी मुआवजे की सीमा

प्रिलिम्स के लिये:

अग्निवीर को मुआवज़ा, अग्निपथ योजना, **सेवा निधि**, तीन सेवाएँ (सेना, नौसेना और वायु सेना), सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष।

मेन्स के लिये:

ड्यूटी के दौरान मृत्यु के बाद अग्निवीर को मुआवज़ा, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमज़ोर वर्गों के लिये कल्याण योजनाएँ एवं इन योजनाओं का प्रदर्शन।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सियाचिन **ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान एक अग्निवीर की मृत्यु** हो गई, जिससे **अग्निवीरों के परिवारों के लिये पेंशन और मुआवज़े की पात्रता को लेकर विवाद उत्पन्न** हो गया।

- वर्ष 2022 में सरकार ने तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों (अग्निवीरों) की भर्ती के लिये अग्निपथ योजना का अनावरण किया था।

अग्निवीर की मृत्यु के बाद मुआवज़े का वादा:

- **सेवा निधि:**
  - अग्निवीर का परिवार कई प्रकार के मुआवज़ों का हकदार है **जिसमें 48 लाख रुपए की गैर-अंशदायी बीमा राशि, मुआवज़े के रूप में 44 लाख रुपए** और **अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि का 30% तथा** सरकार द्वारा योगदान शामिल है।
  - साथ ही इन रकमों पर ब्याज भी मिलता है।
- **सशस्त्र बल युद्ध हताहत निधि:**
  - परिवार को मृत्यु की तारीख से शेष कार्यकाल के लिये **13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी मिलता है, साथ ही सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष (Armed Forces Battle Casualty Fund) से 8 लाख रुपए** का योगदान भी मिलता है।
- **आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन:**
  - तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन निकटतम परिजनों को 30,000 रुपए की पेशकश करता है।

अग्निपथ योजना:

- **परिचय:**
  - यह देशभक्त व प्रेरित युवाओं को **चार वर्ष की अवधि के लिये सशस्त्र बलों** में सेवा करने की अनुमति देता है। इसके तहत युवा कम अवधि के लिये सेना में भर्ती हो सकेंगे।
  - नई योजना के तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की वार्षिक भर्ती की जाएगी तथा अधिकांश केवल चार वर्षों में सेवा त्याग देंगे।
- **पात्रता मापदंड:**
  - यह योजना केवल **अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों** के लिये है (वे जो अधिकृत अधिकारियों के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं)।
    - सेना में सर्वोच्च पद कमीशन अधिकारी का होता है। वह भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशेष रैंक रखते हैं। वे अक्सर राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के अधीन आयोग में कार्य करते हैं तथा उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है।
  - इस योजना में 17.5 से 23 वर्ष के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे।
- **उद्देश्य:**

- इसका उद्देश्य **देशभक्त और प्रेरित युवाओं को** 'जोश' और 'जज़्बे' के साथ **सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना** है।
- इससे भारतीय **सशस्त्र बलों की औसत आयु में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी** आने की उम्मीद है।
- इस योजना में परिकल्पना की गई है कि वर्तमान में सुरक्षा बलों के लिये औसत आयु 32 वर्ष है, जो अगले छह से सात वर्षों में घटकर 26 वर्ष हो जाएगी।

- **अग्निवीरों के लिये लाभ:**
  - 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए की एकत्रित 'सेवा निधि' प्रदान की जाएगी, जिसमें उनका अर्जित ब्याज भी शामिल होगा।
  - साथ ही उन्हें चार वर्ष के लिये 48 लाख रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा भी मिलेगी।
  - मृत्यु के मामले में भुगतान 1 करोड़ रुपए से अधिक होगा, जिसमें सेवा की शेष अवधि का भी वेतन शामिल होगा।
  - चार साल बाद नौकरी छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में सरकार मदद करेगी।

अग्निवीरों से संबंधित चिंताएँ:

- **दूसरी नौकरी मिलने में समस्याएँ:**
  - **'अग्निपथ'** पहल अपने उद्घाटन वर्ष में सेना, नौसेना और वायु सेना में लगभग 45,000 कर्मियों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त करती है।
  - हालाँकि ये भर्तियाँ **चार साल के अस्थायी अनुबंध** पर काम करेंगी। अनुबंध के पूर्ण होने पर उनमें से 25% को नौकरी पर बरकरार रखा जाएगा, जबकि **शेष सशस्त्र बलों से बाहर हो जाएंगे।**
- **कोई पेंशन लाभ नहीं:**
  - 'अग्निपथ' योजना के तहत कार्य पर रखे गए लोगों को चार साल का कार्यकाल समाप्त होने पर **11 लाख रुपए से कुछ अधिक की एकत्रित** 'सेवा निधि' दी जाएगी।
  - हालाँकि उन्हें कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। अधिकांश लोगों के लिये अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण हेतु दूसरी नौकरी की तलाश करना आवश्यक है।
- **प्रशिक्षण अप्रयुक्त रह सकता है:**
  - सेनाएँ अनुभवी सैनिकों को खो देंगी।
  - सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे ऑपरेशनों में सहयोग कर सकें।
  - इस योजना के तहत अभी तक महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है।

आगे की राह:

- सरकार को अग्निवीरों के लिये **अनिवार्य लाइसेंसिंग नियमों में छूट** पर विचार करना चाहिये ताकि उनमें से अधिक लोगों को व्यावसायिक इकाई शुरू करने में निवेश के लिये आकर्षित किया जा सके।
- इससे उद्यमशीलता के अवसर और आर्थिक विस्तार के दोहरे लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
- अग्निवीरों के लिये जमा पर आकर्षक ब्याज दरें बचत को प्रोत्साहित करेंगी और बैंकों को लाभ पहुँचाएंगी।
- उन अग्निवीरों के लिये जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, **प्रवेश मानदंड में छूट (कट ऑफ आदि में छूट)** एक प्रमुख आकर्षण साबित होगी।
- उच्च योग्य और अनुशासित अग्निवीरों के पास उपलब्ध पर्याप्त अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता होगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/line-of-duty-compensation-for-agniveer